



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 59/2025

दायर दिनांक 04.11.2025

अनवान

1. नरेश पुत्र मांगीलाल जाति भीणा उम्र वयस्क निवासी कास्यां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....वादी

बनाम

1. धापू पुत्री खन्नी जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. नानी बाई पुत्री खन्नी जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. प्रेम बाई पुत्री खन्नी जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. भैरी बाई पुत्री खन्नी जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. भवानी बाई पुत्री खन्नी जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. मोडी बाई पुत्री खन्नी जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. रामकन्या पुत्री खन्नी जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. रामलाल पुत्र खन्नी जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 01. श्री ओमप्रकाश शर्मा - विद्वान अधिवक्ता वादी

02. पैरोकार सरकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:- निर्णय :-

दिनांक :- 15/12/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 20.11.2025 को प्राथमिक डिक्री इस



लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

जमाग की जारी हुई कि मौजा ग्राम दानपुरा पटवार इल्का मुक्ता शिवात खाला संख्या 58 आराजी नम्बर 146 रकबा 0.5489 हैकटेयर भूमि में बांदी का 11/12 हिस्सेनुसार बांदी का भीले पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाईमिट्स एण्ड राउण्डस के आधार पर विभाजन क्रिमे जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन परस्ताव तहसीलदार विजीलिया में लिया गया। तहसीलदार विजीलिया ने अपने पत्रंक/संख्या/2025/1997 दिनांक 09/12/2025 में प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, संख्या देस दो प्रति, व जमाबन्दी तहकन श्री प्रति इस न्यायालय में परस्तुत की। प्राय विभाजन परस्ताव अधिवक्ता बादीगण को स्वीकार है।

विभाजन परस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड राउण्डस के आधार पर बादीगण की उपस्थिति में तैयार करना यू-अभिलेख निर्देशक कार्या में आगती रिपोर्ट में अंकित किया है।

अतः बाटपत्र बादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान करतकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नलिखित भूमि उनके नाम के अग्रे अंकित खालेदारान के नाम राजस्व अभिलेख में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं	खालेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेकटेयर में)
01	नरेश पुत्र मंगीलाल भीणा सा. कार्या खालेदार	दानपुरा	146	0.5489
	योग		खसरा 01	0.5489
02	रामलाल 1/8, धातूबाई 1/8, नानी बाई 1/8, प्रेमबाई 1/8, भैरीबाई 1/8, भवानी बाई 1/8, मोडी बाई 1/8, रामकन्या 1/8 माला खन्नी भील सा.देह खालेदार	दानपुरा	146/1	0.0500
	योग		खसरा 01	0.0500

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील बादीगण निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करें।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिक्री विभाग

निर्णय आज दिनांक 15/12/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिक्री विभाग



राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

भीलसीन अधिकारी :- अजीत सिंह रावौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 59 / 2025

दापर दिनांक 04.11.2025

अनवान

1. नरेश पुत्र मांगीलाल जाति भीष्ण उम्र वयस्क निवासी कास्यां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... डिक्रीदार

बनाम

1. धापू पुत्री खन्नी जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. नानी बाई पुत्री खन्नी जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. प्रेम बाई पुत्री खन्नी जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. भैसी बाई पुत्री खन्नी जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. भवानी बाई पुत्री खन्नी जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. मोडी बाई पुत्री खन्नी जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. रामकन्या पुत्री खन्नी जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. रामलाल पुत्र खन्नी जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी दानपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

वैसंप्रभू अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0एक्ट



निर्णय दिनांक : 15 / 12 / 2025

डिक्री दिनांक : 15 / 12 / 2025

यह मुकदमा आज वास्तु इन फिसल कतई रुबक न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री ओमप्रकाश शर्मा एवं पैरोकार सरकार को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि :- निर्नाकित भूमि उनके नाम के आगे अकित खातेदारान के नाम ग्राम दानपुरा फटवार हल्का गुडा के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

31
उप खण्ड अधिवक्ता पद संख्या 02 पर
बिजौलियां जिला-श्रीसदाश

पेज संख्या 02

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	नरेश पुत्र मांगीलाल मीणा सा. कारस्यां खातेदार	दानपुरा	146	0.5489
	योग		खसरा 01	0.5489
02	रामलाल 1/8, धापूबाई 1/8, नानी बाई 1/8, प्रेमबाई 1/8, भैरीबाई 1/8, भवानी बाई 1/8, मोडी बाई 1/8, रामकन्या 1/8	दानपुरा	146/1	0.0500
	माता खन्नी भील सा.देह खातेदार		खसरा 01	0.0500
	योग			

उक्तानुसार डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

नीज Nil मुबलिंग Nil बाबत्

Nil खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल याबी तक Nil का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 12 वर्ष 2025 को

जारी किया गया।

नोट :- प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक 15/12/2025 को मुर्तिब की गई।



3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौरियां

मुद्द	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दया	-		स्टाम्प अरजी दया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
मेहनताना वकील ()	-		मेहनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	-		बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		



3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौरियां